संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016
ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

क्रमांक /टीसी/69/महेश्वर/उपां/नग्रानि/2021 भोपाल,दिनांक:- /01/2023

प्रति,

1 **कलेक्टर,**
जिला खरगोन (म.प्र.)।

2 **सहायक संचालक,**
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय, खरगोन (म.प्र.)।

3 **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
जिला पंचायत,
जिला खरगोन (म.प्र.)।

4 **मुख्य नगर पालिका अधिकारी,**
नगर पालिका परिषद महेश्वर
जिला खरगोन (म.प्र.)।

विषय:- नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23-क-(1)-ख के अधीन महेश्वर विकास योजना, 2021 में प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (शैक्षणिक) एवं प्रस्तावित मार्ग में उपांतरण बाबत - ग्राम महेश्वर तहसील महेश्वर जिला खरगोन के खसरा क्रमांक 45/1 कुल रकबा 0.6890 हेक्टेयर (आवेदक नेचरल गादिया रियल स्टेट प्रा.लि. डायरेक्टर श्री लोकेश गादिया, महेश्वर जिला खरगोन)

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल द्वारा **महेश्वर** विकास योजना, 2021 में उपांतरण प्रस्तावित किया गया है। जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।

संलग्न:-यथोपरि।

(मुकेश चन्द गुप्ता)
वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

पृ. क्रमांक 381 /टीसी/69/महेश्वर/उपां/नग्रानि/2021 भोपाल,दिनांक 20/01/2023

प्रतिलिपि:-

1 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।

2 संयुक्त संचालक/सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, आई.टी. नगर तथा ग्राम निवेश, (म.प्र.) भोपाल को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

D:\LKI\upantaran 23k1k\New 23 k 1 kha.docx

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016
ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

सूचना

भोपाल, दिनांक:20/01//2023

क्रमांक 378 /टीसी/69/महेश्वर/उपां/नग्रानि/2021 भोपाल, - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि, संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट महेश्वर विकास योजना 2021 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्रं	**ग्राम/ तहसील एवं जिला**	**खसरा क्रमांक**	**क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**		**विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग**	**उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग**
			कुल रकबा	**उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा**		
1.	ग्राम महेश्वर तहसील महेश्वर एवं जिला खरगोन	45/1	0.6890	0.6890	कृषि एवं प्रस्तावित मार्ग	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (शैक्षणिक) एवं प्रस्तावित मार्ग
	कुल रकबा		**0.6890**	**0.6890**		

नोट :-

1. महेश्वर विकास योजना, 2021 में प्रस्तावित आर.आर. मार्ग की चौड़ाई 36.00 मीटर निर्दिष्ट है। अत: प्रस्तावित मार्ग हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
2. म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 49 (1) सारणी-6 में "सामुदायिक सुविधा एवं अन्य उपखण्डीय आवश्यकताएं" के लिए शैक्षणिक सुविधा हेतु निर्देशित आवश्यक क्षेत्र के आधार पर शैक्षणिक स्तर निर्धारित होगा।

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय खरगोन तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, खरगोन को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियॉ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर विचार किया जाएगा।

(मुकेश चन्द्र गुप्ता)
वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

D:\LKI\upantaran 23k1k\New 23 k 1 kha.docx